(2) Any officer who intends to publish any document under his own name or to deliver any public utterance containing statements in respect of which any doubt as to the application of the restrictions imposed by this rule may arise, shall submit to the Secretary-General, a copy or draft of the document which he intends to publish or of the utterance which he intends to deliver and shall not publish the document or deliver the utterance, save with the permission of the Secretary-General and with such alterations, if any, as the Secretary-General may direct.

[F. No. 7/53/2009/GN-9607/VU]

UTPAL KUMAR SINGH, Secy. General

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) भर्ती नियम, 2023 है।
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आरंभिक गठन:- इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में नियमित आधार पर स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पदधारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।
- 3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता**: वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. **शिथिल करने की शक्ति**: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।		
(1)	(2)	(3)		
स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)।	14*(2023)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',		
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	अराजपत्रित, अननुसचिवीय।		
	किया जा सकता है।			

वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।
(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6	अचयन ।
(रु 35,400-11,2400/-)।	

·	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की हो।	अवधि, र्या	भर्ती की प्रोन्नति /आमेलन पद्धतियों रिक्तियों	द्वारा द्वारा द्वारा	या ा त भरी	प्रतिर्वि था ¹ जाने	नेयुक्ति विभिन्न
(8)		(9)		(10)		
लागू नहीं होता।	د	ो वर्ष ।	प्रोन्नति				

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति :- श्रेणी I में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर जिन्होंने समूह 'ग' वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (रु. 29,200-92,300) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
(12)		(13)
समूह 'ख' (अराजपत्रित) विभागीय/प्रोन्नति समिति (प्रो	ान्नति के संबध में विचार	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-		आवश्यक नहीं है
1. अपर महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय	-अध्यक्ष	
2. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय	- सदस्य	
3. भारतीय महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक	- सदस्य	
4. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय	- सदस्य	
समूह 'ख' (अराजपत्रित) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि	के संबंध में विचार करने	
के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		
1. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय	-अध्यक्ष	
2. भारतीय महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट		
निदेशक (चक्रानुक्रम पर)	-सदस्य	
3. भारतीय महासर्वेक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट		
एक समूह 'क' अधिकारी	-सदस्य	
4. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय	-सदस्य।	

[फा. सं. एस.एम/02/05/2019]

अनुपमा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science And Technology)

New Delhi, the 30th January, 2023

- **G.S.R.** 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Staff Car Driver (Special Grade) in the Survey of India, Department of Science and Technology under Ministry of Science and Technology, namely:-
 - 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Survey of India Staff Car Driver (Special Grade) Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Initial Constitution.-**The incumbents to the post of Staff Car Driver (Special Grade) in Survey of India under Department of Science and Technology on regular basis before commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.
- **3.** Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale. The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Staff Car Driver (Special	14* (2023)	General Central Service: Group B (Non-
Grade).	*Subject to variation dependent on	Gazetted) (Non-Ministerial).
	workload.	

Level in the Pay Matrix.	Whether Selection or non-selection post.		
(4)	(5)		
Level 6	Non-Selection.		
(Rs. 35,400-1,12,400).			

_		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years.	Promotion.

In	case	of	recruitment	by	promotion	or	deputation/	absorption,	grades	from	which	promotion	or
de	putatio	n/a	bsorption to b	e m	ade.								
							(11)						

Promotion:

Staff Car Driver Grade 1 in Group 'C' level 5 (`29200-92300) in the pay matrix with three years regular service in the Grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which
	Union Public Service
	Commission is to be
	consulted in making
	recruitment.
(12)	(13)
Group B (Non Gazetted) Departmental Promotion Committee consisting of:	Consultation with UPSC is

		not necessary.
1. Additional Surveyor General, Surveyor General's Office	- Chairman	
2. Deputy Surveyor General, Surveyor General's office	- Member	
3. Director to be nominated by the Surveyor General of India	- Member	
4. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office	- Member	
Group B (Non Gazetted) Departmental Confirmation Committee	consisting of:	
1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office	- Chairman	
2. Director (on rotation) to be nominated by the Surveyor General of I	India Member	
3. One Group A Officer to be nominated by the Surveyor General of I	India Member	
4. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office	Member	

[F. No. SM/02/05/2019]

ANUPAMA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

सा.का.िन. 38.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एतदद्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.िन. 275, दिनांक 10 मई, 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानिचत्रण संगठन (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2019 और सा.का.िन. 283, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के शुद्धि-पत्र के अनुपालन में भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है: -

अनुसूची के स्तम्भ (11) में टिप्पण 2 की चौथी पंक्ति में '3' के स्थान पर '4' पढ़ा जाए |

[फा. सं. एस एम/01/10/2017] अनीता धादरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

सा.का.िन. 39.—राष्ट्रपति ,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कैंटीन कर्मचारी समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, २००२ को, जहाँ तक इसका संबंध लिपिक (कूपन, किचन, कार्यालय, लेखा, साधारण कर्त्तव्य और विक्रय), चाय/ काफी बनाने वाला और वाश बॉय पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में लिपिक और कैन्टीन सहायक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, लिपिक और कैन्टीन परिचारक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है |
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे |
 - 2. लागू होना:- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं I
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं I
- 5. निरर्हता वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हैं; या विवाह की संविदा की है या



सी.जी.-डी.एल.-सा.-24042023-245351 CG-DL-W-24042023-245351

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2023, शनिवार/चैत्र 26,—वैशाख 2, 1945

No. 15] NEW DELHI, APRIL 16—APRIL 22, 2023, SATURDAY/CHAITRA 26,— VAISAKHA 2, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर (समूह-'ग') के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**: **-** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (समूह-'ग') पद भर्ती नियम, 2023 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2351 GI/2023 (221)

- 2. **आरंभिक गठन:** इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में नियमित आधार पर स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी, श्रेणी-।। और श्रेणी-। के पदधारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अपनी अपनी श्रेणियों में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता**: वह व्यक्ति -
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

		_ r	2 30 2	
पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन
				पद ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. स्टाफ कार ड्राइवर			वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2	लागू नहीं होता ।
(साधारण श्रेणी)।	*कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग', अराजपत्रित,	(रू.19900-63200/-)।	
	परिवर्तन किया जा सकता	अननुसचिवीय।		
	है।			

·	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	
(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच* (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों	(i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।

	(m) ->
	(ii) मोटर यंत्रक्रिया का ज्ञान
सरकारी सेवकों के लिए	(अभ्यर्थी को यानों में छोटी-
शिथिल करके 40 वर्ष	मोटी खराबियों को ठीक करने
तक की जा सकती है।)	के योग्य होना चाहिए);
टिप्पण: आयु-सीमा	(iii) मोटर कार चलाने का
अवधारित करने के लिए	कम से कम तीन वर्ष का
निर्णायक तारीख भारत	अनुभव ; और
में अभ्यर्थियों से	(iv) मान्यता प्राप्त बोर्ड से
आवेदन प्राप्त करने के	
लिए नियत की गई	, 0
अंतिम तारीख होगी। (न	वांछनीय: होम गार्ड या
कि वह अंतिम तारीख जो	नागरिक स्वयंसेवक के रूप में
असम, मेघालय,	तीन वर्ष का अनुभव ।
अरूणाचल प्रदेश,	टिप्पण: अनुभव संबंधी
मिजोरम, मणिपुर	अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के
नागालैंड,	विवेकानुसार अनुसूचित
त्रिपुरा, सिक्किम,	जातियों या अनुसूचित
हिमाचल प्रदेश के	जनजातियों के अभ्यर्थियों की
लाहौल और स्पीति जिले	दशा में तब शिथिल की जा
तथा चम्बा-जिले के पांगी	सकती हैं जब चयन के किसी
उपखंड और केंद्रशासित	प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी
प्रदेश लद्दाख, अंदमान	की यह राय है कि उनके लिए
और निकोबार द्वीप तथा	आरक्षित रिक्तियों को भरने के
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के	लिए अपेक्षित अनुभव रखने
लिए विहित की गई है।)	वाले उन समुदायों
	के अभ्यर्थियों के पर्याप्त
*यदि खुली प्रतियोगिता	संख्या में उपलब्ध होने
परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती	की संभावना नहीं है।
की जाती है, तो आयु	
सीमा 18-27 वर्ष होगी।	

भर्ती की पद्धति: भर्ती	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति
सीधे होगी या प्रोन्नति	या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
द्वारा या प्रतिनियुक्ति	
या आमेलन द्वारा तथा	
विभिन्न पद्धतियों द्वारा	
भरी जाने वाली रिक्तियों	
की प्रतिशतता।	
की प्रतिशतता। (10)	(11)
	(11) प्रतिनियुक्ति या आमेलन: भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्तर-1 (रु.18000-56900) में ऐसे
(10)	प्रतिनियुक्ति या आमेलन: भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्तर-1 (रु.18000-56900) में ऐसे
(10) प्रतिनियुक्ति या आमेलन	प्रतिनियुक्ति या आमेलन: भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्तर-1 (रु.18000-56900) में ऐसे

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन। 56900) कर्मचारियों का पदधारण करने वाले ऐसे पदधारियों में से जो स्तम्भ-7 में यथाविहित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हो।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन:

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हे सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-	लागू नहीं होता।
1. उपमहासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय	
-अध्यक्ष,	
2. भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय से भिन्न कार्यालय से एक समूह-'क' अधिकारी	
- सदस्य,	
3. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय	
- सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)।	 *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।		अचयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति।

(11)		(12)	(13)
प्रोन्नति:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में	लागू नहीं होता।

	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-	
स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित	1. उपमहासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय	
सेवा की है और सरकार	-अध्यक्ष,	
द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	 भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय से भिन्न कार्यालय से एक समूह-'क' अधिकारी 	
	-सदस्य,	
	3. सहायक महासर्वेक्षक/भारतीय सर्वेक्षण विभाग से समूह 'क'	
	अधिकारी, महासर्वेक्षक कार्यालय	
	आवकारा, महासवक्षक कायालय - सदस्या	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)।	 *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	7.7	अचयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25500-	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	` ,
	- सदस्य।	

[फा. सं. एस एम/02/05/2019]

अनुपमा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 13th, February, 2023.

G.S.R. 40.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Staff Car Driver (Group 'C')

posts in the Survey of India, Department of Science and Technology under Ministry of Science and Technology, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Survey of India Staff Car Driver (Group 'C') posts Recruitment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Initial Constitution.**-The incumbents to the post of Staff Car Drivers in Ordinary Grade, Grade II and Grade I in Survey of India under Department of Science and Technology on regular basis before commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules in their respective grades.
- 3. Number of posts, classification, level in pay matrix. The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **5. Disqualification** No person, –
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Exservicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.		Whether Selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver	84* (2023)	General Central Service:	Level 2	Not applicable.
(Ordinary Grade).	*Subject to variation	Group C (Non-Gazetted)	(Rs.19,900-63,200)	
	dependent on	(Non-Ministerial).	in the pay matrix.	
	workload.			

Age limit for Direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	0	probation, If any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8) (9)		(10)
Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders	1) Possession of a valid driving license for motor cars; 2) Knowledge of Motor Mechanism (the candidate	Not Applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or Absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or Re-employment.

Government).	3) Experience of driving a
	motor car for atleast three
Note: The crucial date	•
for determining the age	4) Matriculation from
limit shall be the closing	recognized board.
date for receipt of	
1 1 1	Desirable:
candidates in India (and	
not the closing date	Home Guard or Civil
prescribed for those in	
Assam, Meghalaya,	
*	Note: The qualification
	regarding experience is
	relaxable at the discretion of
	the Competent Authority in
	the case of candidates
Subdivision of Chamba	belonging to the Scheduled
	Castes and the Scheduled
	Tribes if, at any stage of
Territory of Ladakh,	
Andaman & Nicobar	Authority is of the opinion
Island and	that sufficient number of
Lakshdweep).	candidates with the requisite
	experience are not likely to
*If the direct	1
recruitment is to be	•
made by 'direct open	
competitive	
Examination, the age	
limit would be 18-27	
years.	

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be	Promotion	which Union Public
made.		Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation or Absorption: From amongst the regular Group 'C' employees in Level 1 (Rs.18000-56900) in the Survey of India who possess valid Driving License for Motor Vehicles on the basis of Driving tests to assess the competence to drive Motor cars failing which from officials holding the post of regular Group C employees in Pay Level 1 (Rs.18000-56900) in other Ministries or Departments of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in Column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office	Not Applicable
The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central	-Chairman, (2) One Group 'A' Officer from the office other than the Survey of India - Member, (3) Assistant Surveyor General, Surveyor	

Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

General's Office

- Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver	84* (2023)	General Central Service:	Level 4	Non-Selection.
(Grade II).	*Subject to variation	Group C (Non-Gazetted)	(Rs.25500-81100)	
	dependent on workload.	(Non-Ministerial).	in the pay matrix.	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering	Not
Staff Car Driver (Ordinary	promotion) consisting of:-	Applicable.
Grade) in level 2		
(Rs.19900-63200) in the	1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office.	
pay matrix with nine years	- Chairman,	
regular service in the grade	2. One Group 'A' Officer from the Office other than the Survey of	
and have passed the Trade	India.	
Test specified by the	- Member,	
Government.	3. Assistant Surveyor General/Group 'A' Officer of Surveyor	
	General's Office	
	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver	97* (2023)	General Central Service:	Level 5	Non-Selection.
(Grade I).	*Subject to variation	Group C (Non-Gazetted)	(Rs.29,200-92,300) in	
	dependent on workload	(Non-Ministerial).	the pay matrix.	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for	Not
Staff Car Driver Grade II in level 4	considering promotion) consisting of:	Applicable.
(Rs.25500-81100) in the pay matrix		
with six years regular service in the	1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office.	
grade or with combined service of	- Chairman,	
fifteen years in Staff Car Driver	2. One Group 'A' Officer from the Office other than the	
Grade II and Staff Car Driver	Survey of India.	
(Ordinary Grade) and have passed	- Member,	
the trade test specified by the	3. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office	
Government.	- Member.	

[F. No. SM/02/05/2019] ANUPAMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

सा.का.िन. 41.—राष्ट्रपति ,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहाँ तक उनका संबंध भंडार सहायक और भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में भंडार सहायक और भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-